



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ठ

माग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2013

आश्विन 5, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

निर्वाचन अनुभाग

संख्या 769/61-2013

लखनऊ, 27 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

सा०प०नि०-६१

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43वां अधिनियम) की धारा 27 की उपधारा (3) के अनुच्छेद (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुये तथा सामान्य अनुच्छेद अधिनियम, 1897 (1897 का 10वां अधिनियम) की धारा 21 के साथ पठित और इस विषय से संबंधित पिछली सभी अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से एतद्वारा राज्य की उन शैक्षिक संस्थाओं को विनिर्दिष्ट करते हैं, जो माध्यमिक विद्यालय स्तर से निम्न स्तर की नहीं हैं।

उन शैक्षणिक संस्थाओं की सूची जो माध्यमिक विद्यालय के स्तर से नीचे की नहीं हैं :

- 1—विधि द्वारा संस्थापित उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय;
- 2—उत्तर प्रदेश के समस्त डिग्री कालेज;
- 3—उत्तर प्रदेश के समस्त इण्टरमीडिएट कालेज;
- 4—उत्तर प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय;
- 5—उत्तर प्रदेश के 9 और 10 कक्षा वाले सभी हाईस्कूल;
- 6—उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के प्रशिक्षण के समस्त सामान्य विद्यालय;
- 7—उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय;
- 8—उत्तर प्रदेश की ऐसी सभी शैक्षिक संस्थायें जो ओरियन्टल भाषाओं में शिक्षण प्रदान करती हैं, वशर्ते कि उनका अध्ययन पाठ्यक्रम कम से कम आठ वर्ष का हो, और वे संस्थायें राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों;

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 सितम्बर, 2013

9—उत्तर प्रदेश के विधि द्वारा स्थापित समस्त तकनीकी एवं व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान;

10—उत्तर प्रदेश के विधि द्वारा अधिकृत संस्थाओं से मान्यता प्राप्त समस्त तकनीकी एवं व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान।

आज्ञा से,
उमेश सिंहा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 769/LXI-2013, dated September 27, 2013:

No. 769/LXI-2013

Dated Lucknow, September 27, 2013

IN exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 27 of the Representation of the People Act, 1950 (Act 43 of 1950) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act 10 of 1897) and in supersession of all previous notifications on the subject. The Governor of Uttar Pradesh with the concurrence of Election Commission of India hereby specifies the Educational Institutions within the State not lower in standard than that of a secondary school.

List of Educational Institutions not lower in standard than that of a Secondary School :

1. All Universities established by Law in Uttar Pradesh;
2. All Degree Colleges in Uttar Pradesh;
3. All Intermediate colleges in Uttar Pradesh;
4. All Higher Secondary Schools in Uttar Pradesh;
5. All High Schools with IX and X classes in Uttar Pradesh;
6. All Normal Schools for training of teachers in Uttar Pradesh;
7. All Teacher's Training Colleges in Uttar Pradesh;
8. All Educational Institutions in Uttar Pradesh, imparting instructions in oriental languages provided the course of studies covers period of at least eight years and recognized by the State Government;
9. All Technical and Professional Educational Institutions established by Law in Uttar Pradesh;
10. All Technical and Professional Educational Institutions in Uttar Pradesh, recognized by bodies authorized under Law.

By order,
UMESH SINHA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 451 राजपत्र (हि०)—2013—(966)—599 प्रतियां (कम्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 7 सा० निवाचन—2013—(967)—500 प्रतियां (कम्यूटर/टी०/आफसेट)।